न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१२ पुनरावलोकन रिव्यू 4250-I/12

श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 13-12-12 को प्रस्तुत

क. 13-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१) अशोककुमरर पुत्र श्री राजमल जी जैन, आयु ४६ वर्ष, निवासी चौपाटी रोड, जावरा जिला रतलाम (म०प्र०)

२) जानीबाई पत्नि अमरु भील, आयु ७१ वर्ष, निवासी ग्राम मामटखेडा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (म०प्र०)

----आवेदकगण

बनाम

म०प्र० शासन --- अनावेदक

(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4250–एक/2012 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–6–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0श्रीवास्तव तथा अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0एन0त्यागी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें रिव्यु की ग्राह्यता पर सुना गया। 2– प्रकरण का अवलोकन किया गया उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 41–एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 22–10–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	